पत्रांक–बि0क0च0आ0–प्र0–03 / परीक्षा–72 / 2016(खंड–1)..........

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

आवश्यक सूचना

ज्ञापांक–3486/आ0

पटना, दिनांक–05-12-2018

विज्ञापन संख्या–06060114, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा–2014 दिनांक–08.12.2018, 09.12.2018 एवं 10.12.2018 को दो पालियों में राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित 571 (पाँच सौ इकहतर) परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग द्वारा निर्देशित प्रतिबंधित सामग्रियों यथा–जूता–मोजा, खाद्य पेय(ठंडा / गर्म) पदार्थ, गुटका, खैनी, पान, बीडी, सिगरेट आदि नशीले पदार्थ, किसी भी तरह का आभूषण, ताबीज तथा व्यक्तिगत पेन / पेंसिल / कैलकुलेटर / स्लाइड रूल / लॉग टेबुल / ग्राफ पेपर / चार्ट्स या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाईल फोन, ब्लू–टूथ, पेजर, वेयरेबल डिवाईस, स्मार्ट फोन, घड़ी, बैग आदि के साथ अभ्यर्थी केन्द्रों पर नहीं जाएँ।

- परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित समय से 02:00 घंटा पूर्व पहुँचकर Frisking की प्रक्रियात्मक कार्रवाई पूर्ण करते हुए ससमय आवंटित हॉल / कक्ष में अभ्यर्थी को स्थान ग्रहण करना है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद कोई भी अभ्यर्थी को न तो कक्ष में जाने की अनुमति है न ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की (विशेष परिस्थिति छोड़कर)
- अभिभावकों / अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अवांछित व्यक्तियों के प्रभाव में आकर परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने से संबंधित प्रलोभन में नहीं आवें अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाईयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रलोभन देने वालों के विरूद्ध स्थानीय थाना में साक्ष्य के साथ प्राथमिकी दर्ज करते हुए, जिला प्रशासन एवं आयोग को सूचित किया जाय।
- परीक्षा तिथियों को परीक्षा केन्द्रों के आस–पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी, अतः अनावश्यक भीड़ न लगाएँ।
- सभी केन्द्रों पर जैमर एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की गयी है। किसी अभ्यर्थी द्वारा पररूपधारण (Impersonation) संबंधी प्रयास किये जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ उनके अभ्यर्थित्व को भी रद्द किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही प्रवेश–पत्र निर्गत किये गये हैं। अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ में यदि कुछ त्रुटियाँ हों परन्तु फोटोयुक्त पहचान–पत्र से उनकी पहचान सुनिश्चित हो जाए, तो परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जायेगा। आरक्षण कोटि एवं जन्म तिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वैसे अभ्यर्थी अपना फोटोयुक्त पहचान–पत्र Frisking के समय अनिवार्य रूप से दिखायेंगें एवं आवंटित कक्ष में Invigilator/Observer को भी दिखाना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में, सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपेक्षित सहयोग दें ताकि आयोग सफल, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा आयोजित कर सके।

(हस्ताक्षर) 06/12/18

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।